राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

drishtiias.com/hindi/printpdf/governor-clemency-power

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

संदर्भ

तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को क्षमा करने के निर्णय के कारण राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति एक बार पुन: चर्चा के केंद्र में है।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने एक रिट याचिका (वर्ष 2014 के फैसले के विरोध में) को निपटाने के दौरान यह अभिलेखित किया कि याचिकाकर्त्ता ने तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष आवेदन दिया था और संबंधित प्राधिकार को आवेदन पर निर्णय लेने के लिये उचित माना।
- इससे निर्देशित होकर तमिलनाडु कैबिनेट ने एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अभियुक्तों की रिहाई की सिफारिश की।

संविधान प्रदत्त विवेकाधिकार

- ये विवेकाधिकार संविधान व संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं।
- इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री का चुनाव व उसे पदच्युत करना, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का आमंत्रण, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना/पुनर्विचार के लिये लौटाना आदि शामिल हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (j) के अंतर्गत राज्यपाल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निर्देशित हैं। इन मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह लेने अथवा किसी ली गई सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं है।

परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार

- राष्ट्रपति की भाँति राज्यपाल द्वारा भी परिस्थितिजन्य निर्णयों में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
- इन परिस्थितियों में खंडित बहुमत की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सरकार का सदन में बहुमत खो देने या कार्यकाल के दौरान अचानक मृत्यु हो जाने की दशा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है।
- इसके अतिरिक्त सदन में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने वाली या बहुमत खोने के बाद भी मंत्रिपरिषद की सदस्यता से त्यागपत्र न देने वाली सरकार को बर्खास्त करने के मामले में भी राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।

क्षमादान शक्ति

- अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, के संबंध में किसी अपराध के विरुद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- हालाँकि, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में **दो मामलों में भिन्नता** पाई जाती है-
- **मृत्युदंड के मामले में:** राष्ट्रपति को सजा-ए-मौत को क्षमा करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अर्थात् मृत्युदंड को एकमात्र राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि मृत्युदंड के मामले में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है।
- **कोर्ट मार्शल/सैन्य अदालत के मामले में:** राष्ट्रपति को किसी सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा के निलंबन, परिहार, लघुकरण सहित क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल के पास इस मामले में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति

- अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत उल्लिखित है कि राज्यपाल को जिन कृत्यों को निष्पादित करने के लिये मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, उन कृत्यों को वह अपने विवेकानुसार करेगा।
- अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि किसी विषय पर प्रश्न उठता है कि यह विषय राज्यपाल के विवेकानुसार कार्य करने हेतु उचित था या नहीं, तो इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किये गए किसी भी ऐसे कार्य को विधि संबंधी मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिये था या नहीं।

राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधिकार को दो वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है-

सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में

- अरुणाचल प्रदेश से संबंधित वर्ष 2016 के **नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष व अन्य** के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति बेहद सीमित और पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- **समशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार** (1974) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि जहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग चिंतनशील है उन मामलों में राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहमति से ही ऐसा कर सकता है।
- इस तरह यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है या नहीं।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ द्वारा वर्ष 2006 में **रामेश्वर प्रसाद वाद** में निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 361 (1) के तहत राज्यपाल को प्राप्त संरक्षण न्यायिक जाँच के लिये न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।
- अत: न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 361(1) के तहत आक्षेप लगाने का यह आधार बदनीयती और अधिकारातीत है।

समस्याएँ

- राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह केंद्र व राज्य के बीच कड़ी का कार्य करे। लेकिन इसके स्थान पर वह राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप के लिये केंद्र के हाथ का एक उपकरण बन गया है जिससे राज्यपाल का पद संवैधानिक न होकर राजनीतिक बन गया है।
- राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्ति का निहितार्थ यह है कि वह निर्वाचित सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करने में सक्षम हो, किंतु कई बार इन शक्तियों का दुरुपयोग अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू करने में किया जाता है।
- राज्यपाल को कार्यकाल संबंधी सुरक्षा भी नहीं प्राप्त है, जिससे चुनाव के बाद नई सरकार, पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही हटा देती है।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारों द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिये गठित आयोगों जैसे- सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग आदि ने राज्यपाल पद की महत्ता को स्वीकार करते हुए कई सिफारिशों की हैं।
- राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिये और अंतिम उपाय के रूप में ही उसे पदच्युत करना चाहिये।
- राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री व राज्य विधायिका की भूमिका भी सुनिश्चित होनी चाहिये।
- पूंछी आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यपाल की नियुक्ति को प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की समिति को सौंप देना चाहिये।
- राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत न होकर उसे पदमुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया जाना चहिये।
- जहाँ विवेकाधिकार की बात है तो इस संदर्भ में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा है कि राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग 'पार्टी के प्रतिनिधि' के रूप में नहीं बल्कि 'पूर्णता में राज्य के लोगों के प्रतिनिधि' के रूप में करना चाहिये।